

कार्यालय मुख्य कारखाना निरीक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर

आदेश क्रमांक: सवि. आई. एफ. -5/नक्शा/05/कोरबा/ 1138

रायपुर, दिनांक 2-8-2008

प्रति,

अधिभोगी / प्रबंधक,

आर्यन कोल बेनेफिक्शन प्रा. लि.

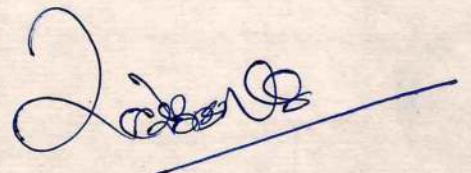
पो. गेवरा तहसील कटघोरा जिला कोरबा छ. ग. ४

विषय:- कारखाना भवन के नक्शों के अनुमोदन ।

आपके कारखाने के नक्शों की एक प्रति निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित की जाकर इस पत्र के साथ भेजी जा रही है।

- (1) यह अनुमोदन कारखाने के साईट या स्थल का अनुमोदन नहीं है।
- (2) यह अनुमोदन भवन निर्माण के लिए अथवा अन्य सामग्री प्रदाय करने के संबंध में गारन्टी नहीं देता ।
- (3) कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित आवश्यक व्यवस्थाओं से मुक्ति जो इन नक्शों में दर्शाई नहीं गई है के विषयक यह आदेश मुक्ति नहीं देता । उनका पूरा पालन किया जाना आवश्यक होगा ।
- (4) कारखाने में एफ़्ल्यूएन्ड्स तथा ट्रेहवेस्ट संबंधी योजना आपको स्थानीय पब्लिक अधिकारी अथवा पब्लिक हेल्थ इंजीनियर छत्तीसगढ़ शासन छत्तीसगढ़ एन्वायरमेंट कन्जरवेशन बोर्ड अथवा संबंधित अन्य विभागों जो भी हों से पृथक से नियमानुसार अनुमोदन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगी ।
- (5) कारखाने के प्रांगण में मूत्रालय तथा सेप्टिक टैंक पद्धति के शौचालय की व्यवस्था पुरुष तथा महिला श्रमिकों के उपयोग हेतु पृथक से छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली के नियम में निर्धारण अनुसार की जानी होगी ।
- (6) निर्माण प्रक्रिया चालू करने के पूर्व निर्धारित प्रपत्र - 2 पर मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा मान्यता प्राप्त सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे ।
- (7) अग्नि शमन उपायों की समुचित व्यवस्था फैक्ट्रीज एक्ट एवं तद्वर्तगत निर्मित नियमों में सुझाये अनुसार कारखाने में की जावेगी ।

संलग्न:- नक्षे नग- 6



मुख्य कारखाना निरीक्षक, छत्तीसगढ़,

रायपुर

पृष्ठंकन क्रमांक: सी.आफ.एफ. 5/नक्शा/05/ कौरबा/

रायपुर, दिनांक.....

प्रतिलिपि, (1) उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर की ओर उपलिखित शर्तों के अनुपालन कराने की अपेक्षा में तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्न :- नक्षे नग - 6

(2) लाइसेंस शाखा, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

SD/-

मुख्य कारखाना निरीक्षक, छत्तीसगढ़,
रायपुर

Dipka - Barr-el

संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक/CIF /नक्शा /I(h)/VI/08/07/KRB/458 रायपुर, दिनांक- 19/3/07

प्रति,

अधिभोगी / प्रबंधक,

विषय :-

शर्मन कोल को निफिकेशन प्रागुल - जिला को रखा
कारखाना भवन के नक्शों के अनुमोदन बाबत। (दीपिका कोल बाबत)

उपरोक्त उल्लेखित कारखाने के नक्शों की एक प्रति निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित की जाकर इस पत्र के साथ भेजी जा रही है :-

01. यह अनुमोदन कारखाने के साईट या स्थल का अनुमोदन नहीं है।
02. यह अनुमोदन जमीन संबंधी किसी भी दावे को प्रमाणित नहीं करता।
03. यह अनुमोदन भवन निर्माण के लिए अथवा अन्य सामग्री प्रदाय करने के संबंध में गारंटी नहीं देता।
04. कारखाना अधिनियम 1948 तथा म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के अंतर्गत मुक्ति आवश्यक व्यवस्थाओं जो इन नक्शों में दर्शाई नहीं गई है से यह अनुमोदन आदेश मुक्ति नहीं देता।
उनका पूरा पालन किया जाना आवश्यक है।
05. कारखाने में एफ्ल्यूएन्ट्स तथा ट्रेडवेस्ट संबंधी योजना आपको स्थानीय पब्लिक अधिकारी अथवा पब्लिक इंजीनियर छत्तीसगढ़ शासन रायपुर प्रदूषण निवारण मंडल अथवा संबंधित अन्य विभागों से पृथक से नियमानुसार अनुमोदन कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
06. कारखाने के प्रागण में मूत्रालय तथा सेप्टिक टैंक पद्धति के शौचालय की व्यवस्था करना पुरुष तथा महिला श्रमिकों के उपयोग हेतु म.प्र. एवं छ.ग. कारखाना नियमावली 1962 के नियम 50 से 54 के अनुसार की जावेगी।
07. निर्माण प्रक्रिया चालु करने के पूर्व निर्धारित प्रपत्र-2 पर स्टेबिलिटी सर्टीफिकेट प्रस्तुत करें।

संलग्न-नक्शे नग - 03

पृ.क्रमांक CIF /नक्शा /I(h)/VI/08/07/KRB /

प्रतिलिपि :-

1. उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / मुख्यालय की ओर उनके पत्र क्रमांक ...373..., दिनांक 24.12.07 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


मुख्य कारखाना निरीक्षक
छत्तीसगढ़ शासन रायपुर
रायपुर, दिनांक-


मुख्य कारखाना निरीक्षक
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर